प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'तीस'

प्रश्न सं. [क्र. 4027]

परिशिष्ट "तीस" [23/3/2018]

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 4027 माननीय श्री मोती कश्यप

परिशिष्ट (30)

उमरार नदी

तहसील – बरही

ग्राम – छिदाई पिपरिया ख.न.391,415 13.350 हे.

Point	LATITUDE	LONGITUDE
A	23° 49' 50.50"	80° 41' 17.10"
B	23° 49' 48.50"	80° 41' 14.50"
C	23° 48' 41.10"	80° 42' 39.40"
D	23° 48' 41.80"	80° 42' 39.40"

तहसील – बरही

ग्राम – परसवाड़ा एरिया 15.000 हेक्टे0

खसरा न. 358

Point	LATITUDE	LONGITUDE
A	23° 50' 55.80"	80° 39' 05.50"
B	23° 50' 56.40"	80° 39' 03.40"
C	23° 50' 20.90"	80° 38' 54.70"
D	23° 50' 19.90"	80° 38' 52.90"
E	23° 50' 18.30"	80° 39' 36.00"
F	23° 50' 16.40"	80° 39' 35.70"

तहसील – बरही

ग्राम – बाहिरघटा एरिया 16.150 हेक्टे0

खसरा न. 71 , 186, 631

POINT	LATITUDE	LONGITUDE
A	23° 50' 14.30"	80° 39' 45.40"
B	23° 50' 17.50"	80° 39' 46.10"
C	23° 50' 07.40"	80° 40' 44.30"
D	23° 50' 10.40"	80° 40' 42.30"

प्रभारी अधिकारी
उपकार्यालय कटनी

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
खनिज साधन विभाग

परिशिष्ट "दो"

कार्यालय कलेक्टर (खनिज–शाखा) जिला–कटनी म0प्र0

कार्यालयीन अभिलेखानुसार विगत् 03 वर्षो में प्राप्त शिकायतें एवं उन पर की गई कार्यवाही से संबंधित विस्तृत अंतरिम जानकारी

प्रपत्र "ब"

क्रं.	शिकायत किसके समक्ष प्रस्ततु की गई है।	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत में उल्लेखित आरोप की विषय वस्तु	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5
1	कलेक्टर कटनी	श्री संदीप नायक, राष्ट्रीय सचिव, छात्र जनतादल यूनाईटेड, श्री सोनू त्रिपाठी एवं समस्त ग्रामवासी, निवासी दोनों जिला कटनी	ग्राम पंचायत छिंदहाई पिपरिया के उमड़ार नदी से गुरूकृपा स्टोन क्रेशर मैहर द्वारा किये जा रहे अवैध रेत खनन बावत।	की गई शिकायत की जांच में खनि निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार सरपंच एवं ग्रामवासियों के समक्ष किये गये मौका निरीक्षण में ठेकेदार द्वारा स्वीकृत रेत खदान के अंदर खनन किया जाना प्रतिवेदित किया है। शिकायत निराधार पाये जाने संबंधी वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन कलेक्टर महोदय को प्रेषित किया गया।
2	कलेक्टर कटनी	श्री राजेश भास्कर, निवासी संतनगर, नई बस्ती, कटनी	जिला कटनी की बड़वारा, बरही एवं वि0गढ़ तहसील अंतर्गत नियमों का उल्लंघन कर, रेत खदानों में खदान संचालकों द्वारा जे0सी0बी0 एवं पोकलीन मशीनों के माध्यम से खुले आम रेत उत्खनन बावत।	की गई शिकायत की जांच में खनि निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार रेत खदान ग्राम खिरवा, घुन्नौर, घुघरी, छिंहदाई पिपरिया, बहिरघटा, परसवारा, गनेशपुर, सांघी, सल्हना आदि खदानों का मौका निरीक्षण पुलिस बल सहित किये जाने पर मौके पर संचालित रेत खदानों में मानव श्रम से रेत खनन किया जाना पाया तथा किसी भी खदान में पोकलेन आदि मशीनों का उपयोग किया नहीं पाया गया। उक्त संबंध में म0प्र0रा0ख0नि0 उपकार्यालय कटनी द्वारा संचालित रेत खदानों में खदान संचालकों को शासन आदेशों एवं राष्ट्रीय हरित अभिकरण के नियमों का उल्लंघन न करने के संबंध में निर्देशित किया गया।
3	कलेक्टर कटनी	श्री कन्छेदीलाल एवं अन्य निवासी ग्राम बहिरघटा, जिला कटनी	ग्राम बहिरघटा तहसील बरही में उमड़ार नदी की रेत खदान शासन के प्रतिबंध के बाद भी ठेकेदार द्वारा रात्रि में अवैध रूप से बड़ी मशीन केन जे0सी0बी0 से रेत की खुदाई कर, नदी का स्वरूप बिगाड़ने एवं जल जीवों को भारी नुकसान कराने के संबंध में शिकायत बावत।	की गई शिकायत की जांच में खनि निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार टास्क फोर्स द्वारा मय खनिज अमला एवं पुलिस बल के साथ संचालित रेत खदान ग्राम खिरवा, घुन्नौर, घुघरी, छिंहदाई पिपरिया, बहिरघटा, परसवारा, गनेशपुर, सांघी, सल्हना आदि खदानों का मौका निरीक्षण किये जाने पर, मौके पर संचालित रेत खदानों में मानव श्रम से रेत खनन किया जाना पाया तथा किसी भी खदान में पोकलेन आदि मशीनों का उपयोग किया नहीं पाया गया। उक्त संबंध में म0प्र0रा0 ख0नि0 उपकार्यालय कटनी द्वारा संचालित रेत खदानों में खदान संचालकों को शासन आदेशों एवं राष्ट्रीय हरित अभिकरण के नियमों का उल्लंघन न करने के संबंध में निर्देशित किया गया।

क्रं.	शिकायत किसके समक्ष प्रस्ततु की गई है।	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत में उल्लेखित आरोप की विषय वस्तु	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5
4	कलेक्टर कटनी	दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित शिकायत दिनांक 22 नवम्बर 2017	प्रकाशित समाचार अनुसार स्थानीय रहवासियों में ग्राम बहिरघटा, छिंदहाई पिपरिया में संचालित रेत खदानों से ओवर लोड हाईवा पर रोकथाम न होने एवं अवैध उत्खनन होने के संबंध में लेख है।	प्रकाशित समाचार का संज्ञान लेते हुए कलेक्टर महोदय द्वारा क्षेत्र में अवैध उत्खनन/परिवहन पर रोकथाम हेतु जारी निर्देशों का पालन करते हुए खनि निरीक्षकों द्वारा अवैध उत्खनन/परिवहन पर सतत जांच की गई, जांच के दौरान अवैध परिवहन में संलिप्त 02 ट्रेक्टर, 05 डम्फर पर प्रकरण दर्ज कर, कार्यवाही की गई।
5	खनि अधिकारी, कटनी	श्री रामसरोवर पटैल, निवासी परसवारा, जिला कटनी	ग्राम परसवारा स्थित स्वीकृत रेत खदान में अवैध उत्खनन के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई।	की गई शिकायत की जांच में खनि निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार शिकायतकर्ता की उपस्थिति में मौका जांच के दौरान खदान क्षेत्र के अंदर खनन कार्य किया जा रहा था। जांच में पाया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा खदान संचालक के साथ पैसों की मांग व किराया के संबंध में विवाद के कारण शिकायत की गई है। शिकायतकर्ता द्वारा खदान का निरीक्षण समक्ष में किया गया, खदान संबंधी दस्तावेजों की प्रतिलिपि मांगी गई जिसे खनिज कार्यालय कटनी में नियमानुसार आवेदन कर, प्राप्त करने हेतु कहा गया।
5	कलेक्टर, कटनी	सरपंच ग्राम पंचायत परसरवारा, जिला कटनी द्वारा प्रस्तुत शिकायत	ग्राम परसवारा स्थित स्वीकृत रेत खदान के ठेकेदार द्वारा निजी कृषकों की भूमि से रास्त बनाकर, खनिज परिवहन किये जाने एवं पानी के अंदर रेत निकालने के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की है।	की गई शिकायत की जांच हेतु खनि निरीक्षक को निर्देशित किया गया, जिसके संबंध में खनि निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार शिकायतकर्ता की उपस्थिति में मौका जांच के दौरान खदान क्षेत्र के अंदर खनन कार्य किया जा रहा था। मौका निरीक्षण किये जाने पर, मौके पर मुनारे लगे हुए पाये गये, संचालित रेत खदानों में मानव श्रम से रेत खनन किया जाना पाया तथा स्वीकृत खदान के अंदर पोकलेन आदि मशीनों का उपयोग किया जाना नहीं पाया गया।

उपसंचालक,
(खनि–प्रशासन)
जिला कटनी (म.प्र.)